दिनांक 30.06.2017

स्वच्छ भारत अभियान **स्वच्छ एवं सुदर भिलाई**

भिलाईनगर/ शहर के बडे हाटल एवं व्यवसायिक काम्प्लेक्स में पार्किग के लिए बनाये गये बेसमेंट को गोदाम तथा दुकान के रूप् में उपयोग कर रहे व्यापारिक स्थलो का लगातार नोटिस के बाद जिलाधीश तथा आयुक्त के निर्देश पर निगम व नगर तथा ग्राम निवेश की टीम ने वस्तुस्थिति की जांच कर प्रतिवेदन सौपा है ।

जिलाधीश उमेश अग्रवाल व आयुक्त के.एल.चौहान के निर्देश पर निगम के भवन अनुज्ञा शाखा एवं नगर तथा ग्राम निवेश की संयुक्त टीम ने शहर के प्रमुख हाटल व व्यावसायिक स्थलो के बेसमेंट की जांच प्रारंभ किया है । टीम ने नेहरू नगर चौक स्थित हाटल ग्राण्ड ढिल्लन में पहुंच कर भवन के बेसमेंट में जांच किया तो वहां हाउस किपिंग का आफिस चल रहा था । शेष रिक्त स्थल का उपयोग गोडाउ के रूप में किया जा रहा था जिसमें डेढ सौ से अधिक खाली गैस सलेण्डर,टूटी कुर्सी, खाली टीन के डब्बे बडी मात्रा में एकत्र कर रखे गये थें । टीम ने हाटल के मैनेजर को बेंसमेंट के सभी सामाग्री को तत्काल हटा कर इसका उपयोग पार्किग के लिए करने के निर्देश दिये। नेहरू नगर रेल्वे क्रासिंग के समीप स्थित शकुन्तला अग्रवाल काम्प्लेक्स में बने बेंसमेंट का उपयोग सात दुकान का निर्माण कर व्यवसायिक रूप से किया जा रहा है । खिचरिया काम्प्लेक्स के भवन मालिक द्वारा काम्प्लेक्स में बने पार्किग स्थल को लोहे के ग्रील से घेर कर ताला लगा कर रिक्त रखा गया था और भवन की सभी गाडियॉ निर्माणाधीन फ्लाई ओवर के नीचे सडक पर खडा किया गया था । जॉच टीम के सदस्य सुराज नर्सिंग होम,टाटा मोटर्स,रायल एनफिल्ड शो रूम,नेक्स मारूती शो रूम जी.ई.रोड तथा धडी चौक सुपेला स्थित ओवर सिंस बैंक व ओरिण्टल बैंक के सामने सर्विस रोड पर बेतरतीब खडे गाडियों को हटाने की समझाई दिया गया है ।

बता दें कि निगम ने शहर के बडे हाटल एवं व्यवसायिक काम्प्लेक्स के भवन मालिको को फरवरी 2014 से अगस्त 2017 तक लगातार नोटिस जारी कर भवन में बने बेसमेंट का उपयोग पार्किग हेतु करने को कहा था किन्तु स्थिति यथावत है । आयुक्त श्री चौहान ने शहर के हाटल एवं बडे काम्प्लेक्स व्यवसायियों से कहा है कि स्वीकृत भवन अनुज्ञा के अनुसार व्यवसायिक स्थलो पर निर्मित बेसमेंट का उपयोग पार्किग के लिए करें । जिला प्रशासन एवं निगम की संयुक्त टीम द्वारा शहर के व्यापारिक स्थलो के बेसमेंट की जांच किया किया जा रहा है जांच में बेंसमेंट का उपयोग पार्किग के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य के लिए करते हुए पाये जाने पर उक्त संस्था के विरूद्ध सक्त कार्यवाही करते हुए बेंसमेंट में पाये गये सामानो की जप्ती की कार्यवाही किया जावेगा । सडक किनारे दुकान लगा कर यातायात को बाधित करने वाले के खिलाफ भी कार्यवाही किया जावेगा यह कार्यवाही लगातार जारी रहेगा।

वही निगम के तोडफोड दस्ते ने पावर हाउस मार्केट में अवैघ रूप से बनाये गये दुकान को जे.सी.बी. से हटाया गया जो कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।

जनसम्पर्क अधिकारी